



फोन एवं फैक्स : 2445621 (कार्या.)

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

61, जलविहार कॉलोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

ई-मेल : staayog48@gmail.com

क्रमांक 5149, /अ.ज.जा.आ./
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21/09/2021

// संशोधित //

कलेक्टर,
जिला- बालोद/धमतरी/दुर्ग (छ.ग.)

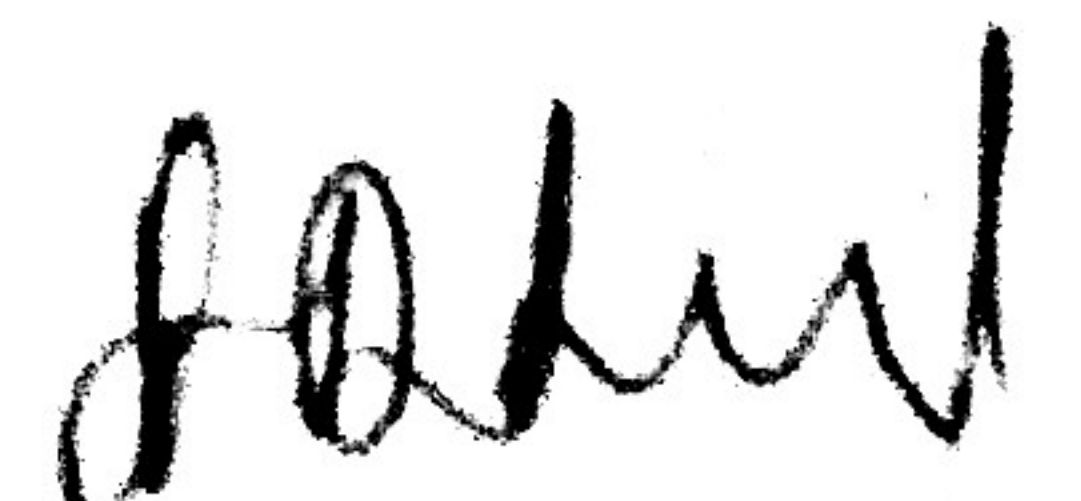
विषय :- माननीय श्री भानुप्रताप सिंह, अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर का प्रवास कार्यक्रम में संशोधन।

—0—

माननीय श्री भानुप्रताप सिंह, अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा), मान. सुश्री राजकुमारी दीवान, उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा), मान. श्री नितिन पोटाई सदस्य, मान. श्री गणेश सिंह धुव सदस्य एवं श्री के. एस. धुव सचिव छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर का संशोधित प्रवास कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.	दिनांक	प्रस्थान	समय	आगमन	समय	कार्यक्रम
1	22.09.2021 (बुधवार)	रायपुर	9.00 am	बालोद	11.00 am	कलेक्टर सभा कक्ष में अनुसूचित जनजाति शासकीय अधिकारी/कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से चर्चा।
		बालोद	12.00 pm	—	1.30 pm	सहायक आयुक्त/तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी(रा.) /अनुविभागीय अधिकारी(वन विभाग) वन अधिकार पट्टा एवं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में चर्चा।
			2.30 pm	—	3.30 pm	विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई।
			5.00 pm	—	7.30 pm	सुरक्षित
2	23.09.2021 (गुरुवार)	बालोद	11.00 am	गुडरदेही	12.00 pm	विश्रामगृह गुडरदेही में अ.ज.जा. समाज प्रमुखों से भेंट एवं चर्चा।
		गुडरदेही	4.00 pm	दुर्ग होते हुए	6.00 pm	मुख्यालय रायपुर वापस।

टीप :- मान. महोदयों के रात्रि विश्राम हेतु सर्किट हाऊस में 04 कक्ष आरक्षित करने का कष्ट करेंगे।
माननीय श्री भानुप्रताप सिंह, अध्यक्ष, मो.नं.-96170-19224, माननीय सुश्री राजकुमारी दीवान, उपाध्यक्ष मो.नं.-9893750702, माननीय श्री नितिन पोटाई, सदस्य मो.नं.-9425212515 माननीय श्री गणेश सिंह धुव, सदस्य मो.नं.-9329277763 के साथ श्री अजय पाण्डेय, निज सहायक, मो.नं.-94242-42183, 8878369090 एवं उनके पी.एस.ओ. अमित बरा जिनका कि मोबाईल नं. 6264645193 है।


सचिव

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति
आयोग, रायपुर

पृ.क्र. 5150, /अजजाआ/2021
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक- 21/09/2021

1. पुलिस अधीक्षक, जिला-बालोद/धमतरी/दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ। कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रवास के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का कष्ट करेंगे।
2. प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला-बालोद/धमतरी/दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला- बालोद (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं मान. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के पद की गरिमा अनुरूप आवश्यक व्यवस्था हेतु।



सचिव

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति
आयोग, रायपुर